राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./1416/2004/हनुमानगढ

1– बलवीर सिंह पुत्र नौरंगसिंह पुत्र मंहगासिंह जाति मजहबी सिख, निवासी सिरियेवाला तह0फूल, जिला भटिण्डा, पंजाब–फौत
1.1 चरणजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह
1.2 राजवीर पुत्र बलवीर सिंह
1.3 जसवीर कौर पुत्री बलवीर सिंह
1.4 जसकौर पुत्री बलवीर सिंह
2– मेजर सिंह
3– हरनेक सिंह
4– नाजर सिंह
} पुत्रान नौरंग सिंह पुत्र मंहगा सिंह जाति मजहबी सिख, निवासी सिरियेवाला तहसील फूल, जिला भटिण्डा, पंजाब।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सरजीत सिंह पुत्र चरन सिंह, जाति कम्बोज सिख, निवासी डबलीबास मौलवी, तहसील व जिला हनुमानगढ। फौत
2– तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ।
3– तथाकथित नौरंगसिंह पुत्र महंगा सिंह, जाति ईसाई निवासी 15 बी.बी. हाल डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री मनीष पाण्ड्या, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सतबीर सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 26.9.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 145/2003 शीर्षक 'बलबीर सिंह बनाम सरजीत सिंह' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या–3 ने एक वाद प्रतिवादी सरजीतसिंह के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर व उप जिला कलक्टर, हनुमानगढ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित चक नम्बर 1 एल0जी0डब्ल्यू0 खाता संख्या 48/40 कुल आराजी 4.554 है0 जमाबंदी सम्वत् 2055–58 में वादी के नाम 3.795 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी चक में खाता संख्या 49/41 नौरंगसिंह ने वादी के नाम से 3.795 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिनांक 26.9.1993 को ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है। प्रतिवादी संख्या–1 वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि प्रश्नगत आराजी में दर्ज वादी की जाति मजबी को कलमजन कर ईसाई दर्ज किया जाये और प्रतिवादी संख्या–1

को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे। उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 19–6–2003 से दावा वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध वादी के वारिसान/अपीलार्थीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–02–2004 से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को खारिज किया है। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था वह हमारे पिता नौरंगसिंह के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर नौरंग सिंह बनाते हुये दावा दायर किया गया था। नौरंगसिंह दिनांक 1–6–1997 को ही फौत हो गया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय में हमने इसके बारे में मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीगण के पिता नौरंगसिंह की कृय की हुई भूमि है और प्रार्थीगण जाति से मजहबी सिख हैं एवं अपीलार्थीगण के पिता भी अपनी मृत्यु पर्यन्त मजहबी सिख ही रहे हैं। अपीलार्थीगण के पिता को मजहबी सिख से ईसाई बनने की ना तो कोई आवश्यकता थी और ना ही उनके द्वारा ऐसा कोई आवेदन किया गया था। प्रतिवादी संख्या–1 प्रश्नगत भूमि को किसी प्रकार से लेना चाहता था, अतः ये वाद उसी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को खडा करते हुये प्रस्तुत किया गया था। अधिनियम की धारा 88 के तहत इस प्रकार का वाद दायर नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण अनु0 जाति के सदस्य हैं और प्रतिवादी सरजीत सिंह उनकी भूमि को नहीं ले सकता है, अतः उसके द्वारा ये वाद प्रस्तुत करवाया गया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से वाद को डिक्री किया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को गलत प्रकार से पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर अपील स्वीकार की जाये।

5– रैस्पो0/वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा जो बिन्दु नौरंगसिंह के फौत होने के सम्बन्ध में उठाया गया है वह अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाया जा चुका है और अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दायरी के समय नौरंगसिंह को जीवित होना माना है। यदि से रैस्पो0 संख्या–3 को फर्जी होना कहते हैं तो सिविल न्यायालय के समक्ष जा कर चाराजोही करनी चाहिए। नौरंगसिंह द्वारा विधिवत रुप से ईसाई धर्म परिवर्तित किया गया है और ये बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय तक से तय हुआ है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये अपने निर्णय पारित किए हैं और समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है, अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में सुस्पष्ट है कि वादी नौरंगसिंह द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 7–4–2003 को अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिनांक 26.9.1993 को ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है। प्रतिवादी संख्या–1 वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में दर्ज वादी की जाति मजबी को कलमजन कर ईसाई दर्ज किया जाये और प्रतिवादी संख्या–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। परीक्षण न्यायालय द्वारा वादी के उक्त वाद को डिक्री करने के निर्णय दिनांक 19–6–2003 के विरुद्ध वर्तमान अपीलार्थीगण जो कि नौरंगसिंह के पुत्रान हैं, के द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज किया गया है। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दो विवाद्यक कायम किये जिनमें प्रथम विवाद्यक इस आशय का कायम किया गया है कि आया 1. वादी अपनी जाति प्रश्नगत आराजी में मजबी की जगह ईसाई घोषणा कराने का अधिकारी है और 2. आया प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में वादी प्रतिवादी संख्या–1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह सुस्पष्ट है कि चक नम्बर 1 एल0जी0डब्ल्यू0 खाता संख्या 48/40 एवं खाता संख्या 49/41 जमाबंदी सम्वत् 2055–58 में वादी नौरंगसिंह वल्द मंहगासिंह जाति मजहबी अंकित है। प्रर्दा–4 में नौरंगसिंह द्वारा जाति ईसाई अंकित करने हेतु तहसीलदार, हनुमानगढ को किया गया आवेदनपत्र है। प्रदर्श–6 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–5–1998 की सत्यापित प्रति के अनुसार प्रार्थी के ईसाई दर्ज करने के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ को तीन माह में निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रदर्श 3ए बापटिस्म सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार वादी ने ईसाई धर्म ग्रहण किया है और इस पर पादरी के हस्ताक्षर हैं। पादरी के फौत होने पर पी0ड02 में भूषणप्रवेज पिता पादरी एस0पीटर के बयान हैं जो इस प्रमाण पत्र पर ए टू बी अपने पिता के हस्ताक्षर होना पहचानता है और । धर्मान्तरण प्रमाण पत्र के साक्षी चरण सिंह ने भी पी0ड03 में अंकित किया है कि नौरंग सिंह ने मेरे समक्ष ईसाई धर्म ग्रहण किया है। वादी नौरंग सिंह ने स्वयं के बयानों में भी ईसाई धर्म ग्रहण करने का अंकन किया है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय रिट संख्या 1861/80, 2035/80, 1244/81, 1245/81, 2526/83, 2527/83 दिनांक 9–3–09 को उद्धरित करते हुये अंकित अंकित किया है इन निर्णयों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ईसाई बन जाता है, चूँकि ईसाई धर्म में कोई जाति नहीं होती, अतः उसकी जाति ईसाई दर्ज की जानी चाहिए। ये भी अंकित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सिविल अपील संख्या 2560–65 वर्ष 1996 में निर्णय करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9–3–2009 को यथावत बहाल रखा है इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 में वादी को जाति मजबी के स्थान पर ईसाई अंकित कराने का अधिकारी माना है। तनकी संख्या 2 में भी स्पष्ट माना है कि चूँकि एल0जी0डब्ल्यू0 खाता संख्या 48/40 एवं खाता संख्या 49/41 प्रतयेक खाते में 3.795 है0 का वादी रेकोर्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार होने से वह प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है। उक्त दोनों तनकियों में किए गए निर्णयों में हमें किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

8– अपीलार्थीगण का कथन रहा है कि उनके पिता नौरंगसिंह के स्थान पर किसी अन्य को खडा कर ये दावा दायर किया गया है। उनके पिता नौरंगसिंह 1–6–1997 को फौत हो चुके थै, किन्तु ये बिन्दु

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाया जा चुका था और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि "वादी–रैस्पो0 का राशन कार्ड सन् 2001 से 2005 तक का बना हुआ है। वादी–रैस्पो0 ने दिनांक 2–11–2000 को अपनी नरमा की फसल कृषि उपज मण्डी समिति, पीलीबंगा को बेची है, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। उक्त दस्तावेजों से ये प्रतीत होता है कि वादी–रैस्पो0 की मृत्यु दिनांक 1–6–1997 को नहीं हुई तथा वादी – रैस्पो0 ने स्वयं ने वाद प्रस्तुत किया है।" स्पष्ट है कि ये बिन्दु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के स्तर पर तय हो चुका है। यदि वादी रैस्पो0 संख्या–3 को असली नौरंग सिंह होना नहीं कहते हैं तो इसका निर्धारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं हो कर सिविल न्यायालय का है और इसके लिए उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बताया है वह फोटो प्रति मात्र है, प्रमाणित प्रति नहीं है जिसके आधार पर नौरंग सिंह की मृत्यु दावा दायरी से पूर्व होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

9– फलतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपने निर्णय पारित किए हैं और अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हों एवं उनमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक या कानून सम्बन्धी भूल स्पष्ट नजर नहीं आ रही हो, वहॉ द्वितीय अपील में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायिक दृष्टान्त आर0बी0जे0 2007 (14) पेज 35 (एच0सी0), 2002 आर.आर.डी पेज 52 उच्च न्यायालय, 2007 आर.आर.डी पेज 587 उच्च न्यायालय व अन्य अनेकों दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित किया गया है।

8– फलतः हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य